



# मध्यप्रदेश राज्यपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 जुलाई 2015—आषाढ़ 13, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2015

क्र. एफ-70-166-2014-तीन-1291.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 50-क में यह उपबंधित है कि “निर्वाचनों में मतदान मशीनें” द्वारा मतदान में मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करें।

(2) आयोग ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2015 (पूर्वार्द्ध) के लिये आयोग के पास उपलब्ध ई.व्ही.एम. के आधार पर यह निर्णय लिया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2015 (पूर्वार्द्ध) में मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अधीन निर्धारित रीति से सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से,

हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।